52
39

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## समक्ष एम.के. सिंह

## सदस्य

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक 2908/III/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.07.2013 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 1476/III/2013 पुनरीक्षण

केशवप्रसाद मृतक द्वारा वारिसान

ज्ञानेश्वर पुत्र स्व. श्री केशवप्रसाद तिवारी, निवासी- ग्राम उर्रहट, जिला-रीवा (म.प्र.)

--- आवेदकगण

विरूद्ध

1- वंशपतिप्रसाद पुत्र स्व. श्री रामगोपाल

2- लक्षपति प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामगोपाल

3- प्रमोद कुमार पुत्र स्व. श्री रामगोपाल

4- श्रीमती मुन्नी पुत्री स्व. श्री रामगोपाल

5- श्रीमती बेला पुत्री स्व. श्री रामगोपाल

6- धानेश्वरप्रसाद पुत्र स्व. श्री केशवप्रसाद तिवारी

7- नारायणप्रसाद तिवारी पुत्र स्व. श्री केशवप्रसाद

निवासीगण- ग्राम उर्रहंट, जिला-रीवा (म.प्र.)

8- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला-रीवा

----अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदकगण

## आदेश

(आज दिनांक ..8./06/2016)

यह पुर्नविलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1476/III/2013 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक के पिता स्व. श्री केशप्रसाद तिवारी द्वारा बांके मौजा गड़रिया तहसील हुजूर, जिला-रीवा में स्थित भूमि पुराना सर्वे क्रमांक 29/1 रकवा 1.71 एकड़, 29/2 रकवा 3.68 एकड़, सर्वे क्रमांक 84 रकवा 1.20 एकड़, सर्वे क्रमांक 85 एवं 86 रकवा 3.59 एकड़, सर्वे क्रमांक 87/2 रकवा 3.68 एकड़ में से एक एकड़ पश्चिम में कुल जुमला रकवा 8.00 एकड़ जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 19.04.1974 से क्रय की गई थी। उक्त भूमियां आवेदक एवं उसके भाई द्वारा क्रय की गई थी तथा उनका नामान्तरण दिनांक 17.12.1974 को किया गया था एवं ऋण पुस्तिका प्राप्त हुई थी। बाद में भाई की मृत्यु ला औलाद होने से उसकी भूमि पर भी आवेदक के पिता केशवप्रसाद का नाम दर्ज हुआ और सन् 1983-84 के खसरे में उक्त प्रविष्टि की गई। अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 के पूर्वज स्व. रामगोपाल के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने पर उनके विरूद्ध सीलिंग प्रकरण संचालित हुआ। उक्त प्रकरण में स्व. रामगोपाल द्वारा आवेदित भूमियां नया सर्वे क्रमांक 90 रकवा 0.96 एकड़ भूमि सीलिंग में दे दी गई तथा सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त भूमियों को अतिशेष मानकर वेष्ठित किये जाने का आदेश दिया गया। सक्षम अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के

समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 05.01.2013 द्वारा निरस्त हुई। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1476/III/2013 प्रस्तुत किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया। न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुर्नविलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3- आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि भूमि स्वामी स्व. रामगोपाल द्वारा विवादित भूमियां पंजीकृत विक्रय-पत्र से आवेदक के हित में अंतरित की गई थी। ऐसी स्थिति में स्व. रामगोपाल को भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार शेष नहीं रह गया था। तब उनके द्वारा एक अधिकारिता रहित कार्यवाही कर उक्त भूमियों को शासन हित में वेष्ठित किये जाने की इच्छा जाहिर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जब वह भूमियों के भूमि स्वामी ही नहीं रह गये थे तब ऐसी स्थिति में उन्हें भूमियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सहमति देने का अधिकार ही नहीं था और ऐसी अधिकारिता रहित सहमति अथवा इच्छा के आधार पर जो कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक के प्रकरण में की गई है वह अधिकारिता रहित कार्यवाही है। अतः ऐसी अधिकारिता रहित कार्यवाही को माननीय न्यायालय द्वारा स्थिर रखा गया है, जो अभिलेख की स्पष्टदर्शी त्रुटि होने से संशोधन योग्य हैं।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि प्रश्नाधीन भूमियों पर क्रय किये जाने के दिनांक से आज वर्तमान समय तक निरन्तर

आवेदक का कब्जा चला आ रहा है। उच्चतम सीमा अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि भार रहित भूमियां शासन में वेष्ठित की जायेंगी। चूंकि उक्त भूमियों पर आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में चला आ रहा था। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को शासन में वेष्ठित नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य पर माननीय न्यायालय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है। अतः माननीय न्यायालय का आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जो अंतिम विवरणी जारी की गई थी उसे जारी किये जाने से पूर्व आवेदक अथवा भूमि स्वामी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अतः ऐसा आदेश अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है। इस वैधानिक स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अभिलेख की स्पष्टदर्शी त्रुटि होने से पुनर्विलोकन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का यह निष्कर्ष कि कुल रकवा 6.60 एकड़ 1/2 भाग यानि 3.30 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई है और यह भूमि भूमि स्वामी स्वयं छोड़ने को तैयार है विवरण फार्म "घ" में प्रारूप विवरण का निर्वाह धारक पर भी हो चुका है। निश्चित् समयावधि पर किसी की कोई आपत्ति पेश नहीं हुई, जबकि वास्तविकता यह है कि भूमि स्वामी आवेदक पर किसी भी प्रकार की कोई भी तामील का निर्वाह नहीं हुआ है। तब ऐसी स्थिति में भूमि को एक पक्षीय रूप से पूर्व धारक की इच्छा के

आधार पर वेष्ठित नहीं किया जा सकता है। अंत में अभिभाषक द्वारा वर्तमान पुर्नविलोकन स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4- अनावेदक क्रमांक 8 के शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि विवादित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिवत् विचार करने के पश्चात् आदेश पारित किये गये है एवं माननीय न्यायालय द्वारा भी निगरानी में आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की है ऐसी स्थिति में अब प्रकरण में पुर्नविलोकन का कोई आधार नहीं है अतः पुर्नविलोकन आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5- उभय पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि स्वर्गीय रामगोपाल द्वारा सम्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र से आवेदक के हित में अन्तरित की गयी थी। ऐसी स्थिति में स्वर्गीय रामगोपाल को भूमि के संबंध में कोई अधिकार शेष नहीं रह गया था। किन्तु इसके बावजूद उनके द्वारा उक्त भूमियों को शासन हित में वेष्ठित किये जाने की जो इच्छा जाहिर की है वह नितान्त अवैध है क्योंकि जब वह उपरोक्त भूमियो का भूमि स्वामी ही नही था तब ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों के संबंध में उसे किसी भी प्रकार की सहमति अथवा इच्छा व्यक्त करने का अधिकार ही नही था ऐसी स्थिति मे उसके द्वारा अधिकारिता रहित कार्यवाही की गयी है और ऐसी अवैध अधिकारविहीन सहमति के आधार पर जो आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है वैधानिक नहीं है। क्योंकि उच्चतम

सीमा अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि भारत रहित भूमियॉ शासन हित में वेष्ठित की जायेगी चूकि उक्त भूमियो पर आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में चला आ रहा है ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि स्वामी को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना तथा पूर्व भूमि स्वामी स्व. रामगोपाल की इच्छा के आधार पर जो भूमियों शासन हित में वेष्ठित की गयी है वह नितान्त अवैध अनुचित एवं प्रक्रिया के अनुरूप होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उपरोक्त तथ्यों पर विचार किये बिना होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 215/1999-2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05.01.2013 तथा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजुर जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 738/74-75 में पारित आदेश दिनांक 25.02.1977 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा भूमि खसरा क्रमांक पुराना 84,85,86 नया खसरा क्रमांक 90 का प्रभावित रकवा 0.96 एकड़ भूमि सिलिंग से मुक्त की जाकर उपरोक्त भूमि पर आवेदक का नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम.के.सिंह )
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर